भाग एक : खण्ड नौ

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

(क्रमांक 69, सन् 1980)

भारत के राष्ट्रपतिजी की स्वीकृति दिनांक 27-12-80 को प्राप्त तथा भारत के राजपत्र, असाधरण, पार्ट (2) सेक्शन 1 दिनांक 27-12-80 पृष्ठ 737-738 पर प्रकाशित ।

भारतीय गणतंत्र के इकतीसवें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया।

वनों के संरक्षण और उससे सम्बन्धित मामलों के लिये या उसके सहायक या आनुंषगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने हेतु अधिनियम ।

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

(1) यह अधिनियम वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 कहलावेगा ।

(2) केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर इसका विस्तार पूरे भारत पर है ।

(3) यह दिनांक 25-10-80 से लागू किया माना जावेगा ।

धारा 2. वनों के अन-आरक्षण (De-Reservation) या गैर वन प्रयोजन के लिये वन भूमि के प्रयोग पर प्रतिबन्ध - किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी बात के समावेश होते हुए भी, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण केवल केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय विनिर्दिष्ट करते हुए कोई आदेश नहीं करेगा कि –

(i) किसी आरक्षित वन (उस राज्य में तत्सम प्रवृत्त किसी विधि में अभिव्यक्ति "आरक्षित वन" के अर्थ के अन्तर्गत) या उसके किसी भाग का आरक्षित वन नहीं रहना ।

(ii) किसी वनभूमि या उसके किसी भाग का किसी गैर वन प्रयोजन के लिये उपयोग किया जा सकना ।

(iii) कोई वन भूमि या उसका कोई भाग, किसी निजी व्यक्ति (Private Person), प्राधिकरण, सहकारी संस्था, अभिकर्ता (Agent) या अन्य किसी संस्था को जो शासन की न हो, तथा जिसका प्रबन्धन शासन द्वारा न किया जा रहा हो अथवा जिस पर शासन का नियंत्रण न हो, को पट्टे पर (Lease) या अन्य रीति से दिया जा सकना ।

(iv) किसी भी वन भूमि या उसके भाग को, पुन: वर्गीकरण कार्य में उपयोग में लाने के लिए, उस पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों, झाड़ियों को साफ किया जाना ।

[1] स्पष्टीकरण – इस धारा में "गैर वनीय प्रयोजन" (Non Forestry Purpose) का तात्पर्य निम्न कारणों से किसी वन भूमि या उसके भाग को तोड़ना या सफाई करना है अर्थात्;

(क) चाय बगान, काफी, मसाले, रबड़, ताड़, तेल उत्पन्न करने वाले पौछे, बागवानी की फसल या औषधीय पौधों की खेती के लिए ।

(ख) वनीकरण के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए लेकिन उसमें वन और अन्य पशुओं के संरक्षण संवर्धन एवं प्रबन्धन के सहायक कार्य जैसे जाँच चौकी की स्थापना, अग्नि सुरक्षा पट्टी (Fire Line) बेतार यंत्र संचार साधन (Wireless Communication) बागड़ (Fence) का निर्माण, पुल, रपटे (Culverts), बाँध (Dam), बाटर होल, ट्रेन्च मार्क, सीमा चिह्न, पाइप साइन का निर्माण, या ऐसे कार्य सम्मिलित नहीं है ।

धारा – 3 सलाहकार समिति का गठन – केन्द्र सरकार, जैसा वह उचित समझे, उतनी संख्या के व्यक्तियों को समावेश करते हुए समिति का गठन करेगी जो निम्न विषय में उक्त सरकार को सलाह देगी यथा –

(i) धारा 2 के अन्तर्गत अनुमोदन का प्रदाय,

(ii) वनों के संरक्षण से सम्बन्धित कोई अन्य विषय जो उसे केन्द्र शासन द्वारा निर्देशित किये जावें ।

[1] 3 (क) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु दंड – जो कोई भी अधिनियम की धारा 2 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह 15 दिवस की सादी कैद दंड का भागी होगा ।

[1] 3 (ख) शासन के विभागों एवं प्राधिकारियों द्वारा अपराध – जब इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध (क) शासन के विभाग द्वारा किया जावे तो विभाग प्रमुख या (ख) प्राधिकरण (Authority) द्वारा किया जाने पर प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध होते समय उस कार्य के प्रभार में हो और जो प्राधिकरण का उस कार्य के प्रति उत्तरदायी हो तथा प्राधिकरण, उस अपराध के दोषी माने जावेंगे, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी और उन्हें दंडित किया जावेगा । परन्तु ;

(i) इस उपधारा की कोई बात के लिए विभाग प्रमुख या उपधारा 3 (ख) में वर्णित अन्य अधिकारी दंड का भागी नहीं होगा यदि वह यह प्रमाणित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ है और उसने ऐसा अपराध न करने हेतु आवश्यक समस्त उपाय बरते हैं ।

(ii) उपरोक्त उपधारा (i) की कोई बात होते हुए जब इस अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध किसी शासन के विभाग या धारा 'ख' में वर्णित प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और यह प्रमाणित हो जाता है कि अपराध विभाग प्रमुख या प्राधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी की सम्मति, मिली भगत (Connivance) या कोई अवहेलना के कारण हुआ है तो ऐसा अधिकारी दोषी माना जावेगा और उसे दंडित किया जावेगा ।

---

1. वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा जोड़ा गया। अधि. की स्वीकृति 17-12-88 को प्राप्त। भा. शा. राजपत्र (असा.) भाग-2 खंड 1 दि. 19-12-88 पृ. 1-3 पर प्रकाशित (दिनांक 15-3-89) से लागू।

धारा 4. नियम बनाने की शक्ति – (1) केन्द्रीय शासन राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिये नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये प्रत्येक नियम, उनके बनाये जाने के बाद यथा संभव शीर्घ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हों, तीस दिनों के कुल समय के लिए जो कि एक ही सत्र में समाविष्ट हो सकती है या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में हो सकता है और यदि सत्रावसान के पूर्व हो तो शीघ्र आगामी सत्र या उपरोक्त सत्रों में, पटल पर रखे जावेगे, दोनों सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हों या दानों सदन इस बात से सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तब उसके बाद नियम का प्रभाव केवल उपान्तरित रूप को या प्रभावहीन होना है जैसा भी स्थिति हो, इसलिए फिर भी उस नियम के अन्तर्गत पूर्व में किये गये किसी कार्य की वैधता को ऐसा कोई उपान्तरण या वातिलकरण प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

धारा 5. निरसन तथा व्यावृत्ति – वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980 (क्रमांक 17, वर्ष 1980) एतद् द्वारा निरसित किया गया ।

(1) वन (संरक्षण) संशोधन नियम 1988 द्वारा नियम 3(क) (ख) जोड़े गये ।

भा. शा. राजपत्र (असा.) भाग (2) खण्ड-एक दिनांक 19.12.88 के पृष्ठ 1-2 पर प्रकाशित।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी कोई भी की गई बात या कोई कार्यवाही जो उपरोक्त अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन की गई है वह इस नियम के अधीन की गई मानी जावेगी ।

नोट – पर्यावरण, वन एवं वन प्राणी मंत्रालय की अधि. क्र. S.O. 188 (E) दि. 15-3-89 द्वारा वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 1988 दिनांक 15-3-89 से प्रभावशील । भारत राजपत्र भाग II खंड 3(i) दि. 15-3-89 पृष्ठ 2 पर प्रकाशित ।